

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER (SHRI KALP NATH RAI): (a) The National Hydro-electric Power Corporation Ltd. (NHPC) had advertised the Teesta Hydro-electric Project, Stage-III in May, 1992 for being set up as a joint sector project in collaboration with it, subject to the condition that the generating plant and equipment shall be indigenously procured.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

(d) The project has been techno-economically appraised by the Central Electricity Authority and found to be in order. Proposals for environmental and forest clearance have been submitted to the concerned authorities for clearance. The project will be processed for investment approval after the environmental and forest clearances are available and financing has been tied up.

**संचारण और वितरण में होने वाली क्षति को कम करना**

215. श्री ईशदत्त यादव: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विद्युत संचारण और वितरण में होने वाली क्षति को कम करने का कार्य संतोषजनक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौर क्या है; और

(ग)गत तीन वर्षों के दौरान विद्युत संचारण और वितरण में होने वाली क्षति को कम करने के लिए किए गए कार्य का राज्य-वार ब्यौर क्या है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) और (ख) राज्य बिजली बोर्डों (एसईबी) तथा बिजली विभागों (ई०डी०) द्वारा देश में पारेषण एवं वितरण सम्बन्धी हानियों को कम करने के लिए विभिन्न उपाय किए जाने के बावजूद ये हानियां लगातार लगभग 23% बनी रही हैं।

पारेषण एवं वितरण सम्बन्धी हानियों को कम करने के सन्दर्भ में भारी हानियों के लिए उत्तरदायी प्रणाली गत घटकों तथा क्षेत्रों का पता लगाने के लिए एज्य

बिजली बोर्डों/बिजली विभागों द्वारा विस्तृत प्रणालीगत अध्ययन कार्य किए गए हैं। सोपानबद्ध रूप में क्रियान्वित किए जाने के लिए प्रणाली सुधार स्कीमें तैयार की गई हैं।

एज्य बिजली बोर्डों/बिजली विभागों के पास पर्याप्त संसाधनों की कमी होना एक महत्वपूर्ण बाधा है।

(ग) पारेषण एवं वितरण सम्बन्धी हानियां कम करने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान एज्य बिजली बोर्डों/विद्युत विभागों द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों का ब्यौर अनुपत्र में दिया गया है। [देखिए परिशिष्ट 165, अनुपत्र संख्या 3]

**खर्च में कमी करने के लिए मितव्ययिता के उपाय**

216. श्री ईशदत्त यादव: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय द्वारा खर्च में कमी करने के लिए किए गए मितव्ययिता के उपायों का ब्यौर क्या है; और

(ख) ऐसे उपाय अपनाकर अब तक कितनी धनराशि की बचत की गई है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) विद्युत मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों को कार्यान्वित किया जाता है। इनमें ये शामिल हैं—स्टाफ कारों के उपयोग, पैट्रोल के उपयोग, स्टेशरी के उपयोग की नियमित रूप से मानीटरिंग करना, समयोपरि भत्ते को प्रतिबंध करना आदि। वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसरण में इस मंत्रालय द्वारा 10% टेलीफोन कनेक्शनों को सैरेंडर कर दिया गया है। प्रशासनिक व्यय में अत्यधिक मितव्ययिता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विद्युत मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों एवं स्वायत्तशासी निकायों को भी कठोर किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

(ख) विद्युत मंत्रालय के सचिवालय के वर्ष 1991-92 के बजट में गैर-योजना प्रावधान में कुल मिलाकर 18.40 लाख रुपये की कमी की गई है।